

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 534] No. 534] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

का.आ.651(अ).—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 और धारा 6 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड 3, उप—खंड (ii), दिनांक 05 जून, 2018 में प्रकाशित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2287(अ), तारीख 05 जून, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ix) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः — "(ix) श्री वसीम राहतअली खान, फ्लैट नं. ए/603, गुनदेचा अस्ता, ए.के. रोड, मेहरा कम्पाउंड, साकीनाका, मुंबई 400 072."

[फा. सं. 11/3/2012-वक्फ (भाग-II)]

जे. आलम, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड (ii) में संख्यांक का. आ. 2287(अ) दिनांक 5 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

756 GI/2019 (1)

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

- **S.O. 651** (**E**).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Sub-section (1) of Section 6 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Minority Affairs number S.O.2287 (E), dated the 5th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th June, 2018, namely:—
- 2. In the said notification, for the entry against serial number (ix), the following entry shall be substituted, namely:—
 "(ix)Shri Wasim Rahatali Khan, Flat No. A/603, Gundecha Asta, A.K Road,Mehra Compound, Sakinaka, Mumbai 400 072."

[F.No11/3/2012-Waqf (Pt.II)]

J. ALAM, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), <u>vide</u> number S.O.2287 (E), dated the 5th June, 2018.